बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – – प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – 4213 खाद्य, पटना/दिनांक – 26/05/2015

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था** के माध्यम से रब्बी विपणन मौसम 2015–16 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम के लिए कार्ययोजना एवं निर्देश।

महाशय,

राज्य सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत 10 लाख मे0 टन गेहूँ की अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो सांकेतिक है या उतनी मात्रा जिससे यह सुनिश्चित हो कि बाजार दर न्यूनतम समर्थन मूल्य के समतुल्य या उससे अधिक रहे। अतः आवश्यक है कि इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की जाय, ताकि लक्ष्य तो प्राप्त हो ही, साथ ही यह सुनिश्चित हो कि क्रय किसानों से हो, व्यापारियों या बिचौलियों से नहीं । **इस वर्ष भी गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत् विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।** राज्य सरकार ने पूर्व वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । रब्बी विपणन मौसम 2015–16 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450/–** रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम **तत्काल प्रभाव से 31.07.2015 तक** प्रभावी रहेगा।

2. <u>अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें</u>

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है ।
- रब्बी विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति विशेष व्यवस्था के तहत् अब विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ नोडल एजेन्सी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जांच कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत किया जायेगा।
- किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्स/व्यापार मंडल के माध्यम से किया जाना है।
- जहां के पैक्स/व्यापार मंडल किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है, वैसे पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ क्रय करेगा । इस प्रयोजनार्थ राज्य खाद्य निगम प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक एवं आवश्यकतानुसार इससे अधिक क्रय केन्द्र स्थापित करेगा ।
- किसानों को पूरे राज्य में क्रय केन्द्र से RTGS/NEFT के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरन्त बाद भुगतान किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति में जहाँ यह सुविधा

उपलब्ध नहीं होगी, वहीं पर Account Payee Cheque के माध्यम से क्रय के तुरंत बाद भुगतान किया जायेगा।

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानो की सूची का संधारण किया जायेगा। इस सूची का सत्यापन एवं हस्ताक्षर पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद के लिए हारे हुए निकटतम प्रतिद्वन्दी, ग्राम पंचायत के मुख्या एवं ग्राम कचहरी के सरपंच की समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त सूची को बेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा ताकि यह पारदर्शी एवं त्रुटिविहीन हो।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु प्रत्येक जिले में निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक 05.05.2015 के पूर्व कर ली जाय।

3. <u>लक्ष्य का निर्धारण</u>

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति का **लक्ष्य 10.00 लाख मे0 टन** रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विभिन्न एजेन्सियों का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

		(मे0 टन में)
बिहार राज्य खाद्य निगम	–	2.00 लाख
पैक्स/व्यापार मंडल	–	8.00 लाख
कुल	–	**10.00 लाख**

सम्यक् विचारोपरान्त रब्बी विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत जिलावार निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य इस पत्र के साथ **संलग्न है** । आपसे यह अपेक्षा है कि इस लक्ष्य को आप अपने स्तर से प्रखंडवार, पंचायतवार निर्धारित करें, जिससे कि अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार एवं बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके । उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्यूनतम है एवं किसी जिला या अभिकरण द्वारा इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है ।

4. <u>क्रय केन्द्रों का निर्धारण</u>

रब्बी विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किया जायेगा तथा जिन पंचायतों में गेहूँ का क्रय पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा नही किया जायेगा, वहां बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रखंड में स्थापित क्रय केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा । मूल रूप से क्रय केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेवारी पैक्स/व्यापार मंडल एवं बिहार राज्य खाद्य निगम की है । आप यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले में सभी क्रय केन्द्रों में निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई है :–

- क्रय केन्द्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था ।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था ।
- Moisture Meter की व्यवस्था ।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था ।
- माप दंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था ।
- पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था ।
- विहित प्रकिया के अनुरूप पंजियों का संधारण ।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहुंचाने हेतु परिवहन व्यवस्था
- प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS-Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
- **पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची का संधारण एवं पैक्स के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद के लिए हारे हुए निकटतम प्रतिद्वन्दी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच की चार सदस्यीय समिति द्वारा सत्यापन एवं हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था।**

- **पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा सभी कृषकों यथा सदस्य एवं गैर सदस्य से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी।**
- किसानों को अविलंब भुगतान हेतु **RTGS/NEFT** एवं चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन ।

कृपया यह सुनिश्चित करें के आपके जिले में उपरोक्त तैयारियों के साथ तुरंत निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केन्द्र पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाय ।

5. <u>भंडारण की व्यवस्था</u>

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैप भंडारण की व्यवस्था की जा रही है । पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम, औद्योगिक क्षेत्र के प्रांगण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम, टाऊन हॉल, खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामों का किराया सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी, के माध्यम से निर्धारित कराकर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायी जाय । तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जाय । बिहार राज्य खाद्य निगम सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 25.05.2015 के पूर्व चिन्हित भंडारण स्थल/गोदाम पर निम्नांकित तैयारियाँ पूरी कर ली गई हो :–

- निर्धरित माप दंड के अनुरूप डनेज मटेरियल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप तारपोलिन / तिरपाल की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी
- घेरा बन्दी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो
- कैंप कार्यालय
- लाईटिंग की व्यवस्था
- अग्नि शामक यंत्र
- सुरक्षा व्यवस्था
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में MS- Excel, Kruti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कर्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था ।
  किसी भी परिस्थिति में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के भंडारण हेतु खुले गोदाम का उपयोग नही किया जायेगा । आवश्यकतानुसार/परिस्थिति विशेष में अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ के सुरक्षित भंडारण हेतु अस्थायी Water Proof पंडाल की व्यवस्था की जाय एवं तुरंत ही इसे सुरक्षित गोदामों में हस्तांतरित कर दी जाय।

6. <u>भुगतान की व्यवस्था</u>

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी किसानों को क्रय किये गये गेहूँ के मूल्य (MSP) का भुगतान क्रय केन्द्र पर ही RTGS/NEFT द्वारा अविलंब किया जाय । अपरिहार्य स्थिति में जहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहीं पर Account Payee Cheque के माध्यम से क्रय के तुरत बाद क्रय केन्द्र पर ही भुगतान कर दिया जायगा। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा कय किये गये गेहूँ का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किसानों को क्रय के तुरन्त बाद किया जाना ।
- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक कय केन्द्र पर **RTGS/NEFT** एवं चेक बुक एवं चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना। राज्य खाद्य निगम द्वारा इस सम्बन्ध में जिले या प्रखंड स्तर पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु बैंक एकाउन्ट खोलना एवं प्रत्येक क्रय केन्द्र पर चेक निर्गत करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का उपलब्ध होना

- प्रत्येक बैंक एकाउन्ट में निर्धारित माप दंड के अनुरूप पर्याप्त राशि उपलब्ध होना
- राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक जिला में कॉ–ऑपरेटिव बैंक में खाता खोलवाना जिससे कि पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का भुगतान एकमुश्त एडवाइस भेज कर किया जा सके ।
- पैक्स से क्रय किए गए गेहूँ का मूल्य के आधार पर पैक्स से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जाँच कर केन्द्रीय सहकारिता बैंक/राज्य सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गए चेक पर yourself अंकित करते हुए बैंक एडभाईस, जिसमें पैक्सों का नाम, आपूर्ति किए गए गेहूँ की मात्रा एवं मूल्य अंकित हो, के साथ अनिवार्य रूप से सात दिनों के अन्दर सहकारिता बैंक को भेजना तथा भुगतान सुनिश्चित कराना।
- पैक्स एवं निगम के क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी किसान को भुगतान NEFT/RTGS अथवा Account Payee Cheque के माध्यम से करेगी।

7. **<u>जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था</u>**

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय :–

- जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाय ।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन MS- Excel, Kruti Dev 010 में जिला पदाधिकारी को भेजेंगे ।
- प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु जिला से एक वरीय उप समाहर्त्ता की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

8. **<u>बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति</u>**

- प्रखंड में प्रतिनियुक्त वरीय उप समाहर्त्ता/जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त सक्षम पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार Enforcement Certificate देने हेतु प्राधिकृत किया जाय । यह भी सुनिश्चित की जाय कि अधिप्राप्ति किए गए गेहूँ का कुल रकवा (क्षेत्रफल) उक्त क्षेत्र में फसल आच्छादन एवं फसल की स्थिति से अधिक नहीं हो।
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय करने के पश्चात् उसे राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर सुपूर्द करने हेतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति की जाय । राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Officer से Enforcement Certificate प्राप्त कर लें । पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानो से खरीदे गये गेहूँ से सम्बन्धित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों अथवा किसानों को Enforcement Certificate देने के लिए बाध्य नहीं किया जाय ।

9. **<u>पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था</u>**

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मडलों से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहे कि किस तिथि को उन्हें राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर गेहूँ पहुंचाना है । इस व्यवस्था को इस प्रकार लागू किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स/व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की सुपूर्दगी कर सके ।

10. **<u>गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात</u>**

- **<u>किसानो का फोटोयुक्त पहचान पत्र</u> – मतदाता पहचान पत्र/बैंक खाता नं0 हेतु पासबुक की फोटो प्रति /किसान क्रेडिट कार्ड की फोटो प्रति/ड्राईविंग**

लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज – इनमें से कोई एक ।

- गेहूँ की अधिप्राप्ति पारदर्शी हो एवं खेती करने वाले किसानों को गेहूँ बेचने में कोई कठिनाई नहीं हो। अतः पंचायतवार क्रय केन्द्र पर खेती करने वाले किसानों की सूची, खेती की गई रकवा एवं अनुमानित उत्पादन की विवरणी पैक्स के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पद के लिए हारे हुए निकटतम प्रतिद्वन्दी, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच की चार सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की जायेगी। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कर सत्यापन के उपरान्त इसे बेवसाईट पर अपलोड किया जायेगा एवं सभी क्रय–केन्द्रों के सूचना–पट्ट पर भी चिपकाया जायेगा। गेहूँ की अधिप्राप्ति हेतु यह सूची यथासंभव फसल कटने के पूर्व तैयार कर ली जायेगी ताकि फर्जी कागजात के आधार पर एवं बिचौलियों से क्रय नहीं हो।
- उपरोक्त पहचान पत्र के अतिरिक्त किसानों की सूची में नाम होने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कागजात की मांग क्रय केन्द्र पर नहीं की जायेगी।
- गेहूँ की खेती करने वाले किसानों की सूची एवं बेचनेवाले किसान वास्तव में सही है या नहीं, इसमें आने वाले अड़चनों की समीक्षा कर तत्सम्बन्धी **On the Spot** निर्णय लेने में जिला समाहर्त्ता सक्षम होंगे ।
- रब्बी विपणन मौसम 2015–16 अन्तर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा (Moisture) 12 से 14 प्रतिशत, **Foreign Matter - 0.75%, Damaged grains-2%, Slightly damaged grains-4%, Shrivelled & Broken grains-6% and Other foodgrains-2%** हो, की अधिप्राप्ति की जाय ।

11. <u>अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका</u>
    - जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी की होगी ।
    - क्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर वास्तविक किसानो से क्रय को सुनिश्चित करना ।
    - जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयेजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ।
    - पैक्स/व्यापार मंडल, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रों से प्रतिदिन क्रय से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को प्रतिवेदन भेजना।
    - बिहार राज्य खाद्य निगम को क्रय केन्द्र की स्थापना, भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
    - सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी, बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्स/व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना ।
    - राज्य मुख्यालय से सम्पर्क बनाये रखना।
12. <u>अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका</u>
    - क्रय केन्द्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना ।
13. <u>अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका</u>
    - पैक्स/व्यापार मंडल से गेहूँ प्राप्त करने हेतु प्रखंड स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलना ।
    - जहां पैक्स/व्यापार मंडल कार्यरत नही हैं उन स्थानों पर किसानो से सीधे गेहूँ क्रय करने हेतु अधिप्राप्ति केन्द्र खोलना ।
    - भंडारण हेतु पर्याप्त [redacted]
    - [redacted]

- पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण ।
- गन्नी बैग की व्यवस्था – पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गनी बैग की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम के प्रखंड क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गनी बैग उपलब्ध करा दिया जाय ।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना ।

14. <u>अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका</u>

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्स/व्यापार मंडलों का चयन करना ।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु माप दंड निर्धारित करना ।
- अधिप्राप्ति हेतु निर्गत विभागीय निर्देशों के आलोक में पैक्स/व्यापार मंडल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।
- अधिप्राप्ति कार्य, गेहूँ के क्रय विक्रय का प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को उपलब्ध करवाना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना ।
- पैक्स/व्यापार मंडल अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति, बैंक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- वैसे तीन जिले जहां सहकारी बैंक नही हैं वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना ।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम कार्मिक आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना ।

15. <u>अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका</u>

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से सम्बन्धित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे ।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करेगा ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग, बिहार राज्य खाद्य निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना ।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना ।

16. <u>जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका</u>

- प्रत्येक माह में दो दिन अपने सम्बद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना ।

17. <u>प्रमंडलीय आयुक्त की भूमिका</u>

- प्रत्येक सप्ताह प्रमंडल अन्तर्गत जिलों का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति की गहन समीक्षा करना तथा प्रतिवेदन समर्पित करना ।

18. <u>जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ</u>

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगे ।

19. <u>अवकाश पर प्रतिबंध</u>

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नही किया जाएगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेंगा ।

चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हैं एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है । अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरत बाद मिल सके एवं उन्हें अपनी उपज की आलात् बिक्री (Distress sale) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े । इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

20. अधिप्राप्ति कार्य में IT का उपयोग – गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाय एवं IT का उपयोग किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार से फर्जी कागजात एवं बिचौलियों से गेहूँ का क्रय केन्द्रों पर नहीं किया जायेगा।

- सभी खेती करने वाले किसानों का सूची तैयार करते समय मोबाइल नं0 भी प्राप्त की जायेगी एवं गेहूँ क्रय होने के उपरान्त क्रय केन्द्रों पर बेवे गए गेहूँ की मात्रा एवं मूल्य की विवरणी SMS के माध्यम से उसके मोबाइल पर भी भेजी जायगी।
- पैक्सों/व्यापार मंडलों एवं निगम के क्रय केन्द्रों से भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान किया जायेगा एवं इसकी सूचना भी SMS के माध्यम से किसानों को दी जायेगी।

21. <u>अन्यान्य</u>

इस संबंध में अन्य विभागों द्वारा इस विषय पर निर्गत सभी आदेशों पर इस आदेश को अधिमान्यता दी जायेगी।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – खाद्य, पटना/दिनांक –

प्रतिलिपि – सभी जिला के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – खाद्य, पटना/दिनांक –

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, केन्द्रीय भंडारण निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक – प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – खाद्य, पटना/दिनांक –

प्रतिलिपि – सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – खाद्य, पटना/दिनांक –

प्रतिलिपिः– सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी जिला प्रबंधक, बिहार खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – खाद्य, पटना/दिनांक –

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र010/र0वि0अधि0–22/2015 – खाद्य, पटना/दिनांक –

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

रब्बी विपणन मौसम 2015–16 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिलावार न्यूनतम लक्ष्य

(ऑकड़ा मे0टन में)

क्र0सं0	जिला का नाम	जिलावार लक्ष्य	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	पटना	50000	
2	नालंदा	40000	
3	भोजपुर	55000	
4	बक्सर	40000	
5	रोहतास	65000	
6	कैमूर	60000	
7	गया	25000	
8	जहानाबाद	10000	
9	अरवल	3000	
10	नवादा	14000	
11	औरंगाबाद	50000	
12	सारण	30000	
13	सिवान	20000	
14	गोपालगंज	25000	
15	मुजफ्फरपुर	30000	
16	पू0चम्पारण	40000	
17	प0चम्पारण	40000	
18	सीतामढ़ी	25000	
19	शिवहर	10000	
20	वैशाली	34000	
21	दरभंगा	20000	
22	मधुबनी	26000	
23	समस्तीपुर	50000	
24	मुंगेर	10000	
25	बेगूसराय	50000	
26	शेखपुरा	3000	
27	लखीसराय	3000	
28	जमुई	7000	
29	खगड़िया	24000	
30	भागलपुर	24000	
31	बांका	10000	
32	सहरसा	24000	
33	सुपौल	10000	
34	मधेपुरा	20000	
35	पूर्णियाँ	20000	
36	किशनगंज	8000	
37	अररिया	15000	
38	कटिहार	10000	
	कुल :–	1000000	

नोट :– गेहूँ के अनुमानित उत्पादन के आधार पर जिला का न्यूनतम लक्ष्य दिया गया है ।